

Form No. III  
**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

आज दिनांक तहसीलदार / नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर  
 सरकार का नाम मोहन सिंह पुत्र वीसराज सिंह रावपुर 745.  
 किस्त मुकदमा राज. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 57 सन 2018

| तारीख<br>हकम | हकम या कार्यवाही का इतिशयित्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम व<br>हकम की तामिल में जारी हुए।  |
|--------------|---|--|
| 7/01/2018    | <p>पटवारी हल्का S A O R ने रिपोर्ट पेश<br/>                     कर निवेदन किया है कि चक नं. 745 के<br/>                     मुरब्बा नं. 204 के 379 बीघा, भूमि रकबा<br/>                     राज है जिस पर श्री मोहन सिंह<br/>                     पुत्र श्री वीसराज सिंह<br/>                     जाति रावपुर सा. 745 ने<br/>                     अतिक्रमण कर सम्बत् 2074 फसल रबी<br/>                     नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप<br/>                     निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की<br/>                     जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये<br/>                     नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क<br/>                     करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 14/02/2018 को पेश है।</p> | <p>गणिका क्रमांक 73<br/>                     25/11/18<br/>                     कुर्की आदेश क्रमांक<br/>                     74<br/>                     25/11/18</p> |
| 14.2.18      | <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को<br/>                     अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई<br/>                     निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>  |  |

*Liij*  
  
*Mohan Singh*

11/5118 पञ्जावली पेश हुई १८८८ ५०५४ डाय  
 निवासी पेश की गई लकी चिक बोलीवासी  
 सुरेश शर्मा ५१० रूप चल्ड वासी भारत  
 लक ५१०८ (भोजपुर) की ५७०८ र की  
 रडी उमर बोली लीमा की गई ५१०८  
 १८८८ डाय निवासी शरीर वरिये चालक न १६  
 दिव 11/5118 डाय शक्रेष के वसा कवा डी  
 गई जी शक्रेष पञ्जावली की वारे हंर भाग  
 दर्ज रेखा की वारे पञ्जावली इवक डाय अतिकर  
 को बीकल्प कट कवा कइक लकाल प्रकट कर  
 लिमा मचा है। का तावत शरीर वकुर कट ली गई  
 पञ्जावली के शेष कारिकाही अपेक्षित रही है अ  
 पञ्जावली फैलवा लुमा डेकट दा बिल इकत

ध रजिस्टर की पृष्ठ सं... २७... क्र. सं... १.....  
 दिनांक १२-५-१८ राशि ५७०- दर्ज किया।



(1/2)



# पायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

करण सं० 57 वर्ष 2018

राजस्थान सरकार बनाम मोहन सिंह व नीमराज सिंह

प्रस्तुतिकरण दिनांक 25/01/2018 निर्णय दिनांक 14/2/18

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यावाही का इतिशायित्स जज  | पत्र क्रमांक दिनांक जो इस<br>आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया |
|---------------|--|---|
| 12/18         | <p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2074 में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का SASB का प्रतिवेदन दिनांक 25/1/18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी मोहन सिंह पुत्र नीमराज सिंह जाति राजपूत निवासी 7AS को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 7AS मु.नं. 204/452 कुल 0.759 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50% गुणा राशि 152 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 40 48 को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 14/2/18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> तहसीलदार (राजस्व)<br/> श्री विजयनगर </p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 27 की क्रम सं. 4 दिनांक 12-3-18 को 152- दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> ता 0 रा 0 ले 0 </p> |   |